:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्र संख्या 2414/8भू0अ0 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123(507) (हर्बटपुर से बड़कोट बैण्ड) के किमी 75.00 से 101.00 तक (थाथरी खड्ड डामटा से नौगांव ब्लाक) तक भाग के दो लेने चौड़ीकरण निर्माण हेतु 63.720 है0 भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/विविध-जांच/2015-16 दिनांक 16.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक कुवां, राजस्व उपनिरीक्षक गातू एवं राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तहसील बड़कोट के अन्तर्गत प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं0 344 रक्वा 1.095है0, ग्राम कण्डारी में खसरा सं0 1121 रक्वा 3.000, 1136 रक्वा 0.209, 1145 रक्वा 2.000, 1147 रक्वा 2.928 है0, 1151 रक्वा 1.750 है0,1149 रक्वा 6.019 है0 ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं0 2663 रक्वा 5.000 है0 एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं0 01 रक्वा 3.550 है0 खसरा सं0 7 रक्वा 7.634 है0, 8 रक्वा 6.757 है0 ग्राम सिंगुणी में खसरा सं0 318 रक्वा 2.535 है0 319 रक्वा 7.986 है0, ग्राम फिपियारा के खसरा सं0 955 रक्वा 6.205 है0, 956 रक्वा 7.052 है0, कुल 63.720 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष, गौचर, पनघट या सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका ''स'') के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं0 344 रक्वा 1.095है0, ग्राम कण्डारी में खसरा सं0 1121 रक्वा 3.000, 1136 रक्वा 0.209, 1145 रक्वा 2.000, 1147 रक्वा 2.928 है0, 1151 रक्वा 1.750 है0,1149 रक्वा 6.019 है0 ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं0 2663 रक्वा 5.000 है0 एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं0 01 रक्वा 3.550 है0 खसरा सं0 7 रक्वा 7.634 है0, 8 रक्वा 6.757 है0 ग्राम सिंगुणी में खसरा सं0 318 रक्वा 2.535 है0 319 रक्वा 7.986 है0, ग्राम फिपियारा के खसरा सं0 955 रक्वा 6.205 है0, 956 रक्वा 7.052 है0, कुल 63.720 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2157 /आठ-एम0बी0 (2012-13)　　　　दिनांक 12 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,लो0नि0वि0 **बड़कोट** ।

4-- तहसीलदार, बड़कोट।

11/02/16

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

AE/ अमीन
कृपया शीघ्र आवश्यक
कार्यवाही करें।
16/02/2016